अत्यन्त महत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-20/1750/26-3-13-4(41)/06-टीसी-2

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,

मीरजापुर/बिजनौर/सहारनपुर

महराजगंज/चित्रकूट/सोनभद्र।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ-दिनांक 03 नवम्बर, 2013

विषय- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं वन नियमावली, 2008 के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर की निगरानी समिति की बैठक दिनांक 01.11.2013 में लिये गये निर्णय पर अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं वन नियमावली, 2008 के क्रियान्वयन हेतु अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में राज्य स्तर की निगरानी समिति की बैठक दिनांक 01.11.2013 को आयोजित की गयी थी।

2. समीक्षा के दौरान यह संज्ञान में आया कि प्रश्नगत अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार की वेबसाइट पर प्राप्त दावों तथा वितरित की गयी टाइटिल का विवरण अपलोड कराये जाने के संबंध में जनपद मीरजापुर, बिजनौर तथा सहारनपुर में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जनपद महराजगंज तथा चित्रकूट की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है तथा जनपद सोनभद्र में 278 दावे अपलोड करने हेतु लम्बित हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. अत: आपको निर्देशित किया जाता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत दावों का विवरण भारत सरकार की वेबसाइट पर एक माह में अपलोड कराते हुए अनुपालन आख्या निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 तथा समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव

संख्या- 1750(1)/26-3-2013 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संबंधित मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में अनुश्रवण करके अनुपालन सुनिश्चित करायें।
2. निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in